

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

=====0=====


:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

क्रमांक एफ 12-89/2022/20-दो :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-88/2022/20-दो, दिनांक 30.09.2022 के सरल क्रमांक 109 में अंकित श्री राम किशोर चक्रधारी, शिक्षक एल.बी., शा.पू.मा.शाला भेण्डानवागांव, वि.खं. स.लोहारा, जिला कबीरधाम को स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए शा.पू.मा.शाला कोरगुड़ा, वि.खं. डौण्डीलोहारा, जिला बालोद में पदस्थ किया गया था।

2/ चूंकि उक्त स्थानांतरण से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3 का उल्लंघन हुआ है। अतः राज्य शासन, एतद्वारा, श्री राम किशोर चक्रधारी, शिक्षक एल.बी., शा.पू.मा.शाला भेण्डानवागांव, वि.खं. स.लोहारा, जिला कबीरधाम का शा.पू.मा.शाला कोरगुड़ा, वि.खं. डौण्डीलोहारा, जिला बालोद में किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी. वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 12-89/2022/20-दो, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर जिला रायपुर।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला कबीरधाम/बालोद(छ.ग.)।

7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम/बालोद (छ.ग.)।
 8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कबीरधाम/बालोद (छ.ग.)।
 9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,.....(छ.ग.)।
 10. संबंधित प्रधान पाठक(छ.ग.)।
 11. संबंधित श्री राम किशोर चक्रधारी, शिक्षक एल.बी., शा.पू.मा.शाला भेण्डानवागांव,
वि.खं. स.लोहारा, जिला कबीरधाम (छ.ग.) ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. गार्ड फाईल ।



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

=====0=====


:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

क्रमांक एफ 12-89/2022/20-दो :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-88/2022/20-दो, दिनांक 30.09.2022 के सरल क्रमांक 142 में अंकित श्री दिनेश कुमार मारकण्डे, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला खम्हरिया, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम को स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए शा.पू.मा.शाला लावातरा, वि.खं. व जिला बेमेतरा में पदस्थ किया गया था।

2/ चूंकि उक्त स्थानांतरण से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3 का उल्लंघन हुआ है। अतः राज्य शासन, एतद्वारा, श्री दिनेश कुमार मारकण्डे, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला खम्हरिया, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम का शा.पू.मा.शाला लावातरा, वि.खं. व जिला बेमेतरा में किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है।


(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी. वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 12-89/2022/20-दो, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर जिला रायपुर।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला कबीरधाम/बेमेतरा(छ.ग.)।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम/बेमेतरा(छ.ग.)।

8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कबीरधाम/बेमेतरा (छ.ग.)।
 9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,.....(छ.ग.)।
 10. संबंधित प्रधान पाठक(छ.ग.)।
 11. संबंधित श्री दिनेश कुमार मारकण्डे, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला खम्हरिया, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.) ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. गार्ड फाईल।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

=====0=====


:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

क्रमांक एफ 12-89/2022/20-दो :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-88/2022/20-दो, दिनांक 30.09.2022 के सरल क्रमांक 146 में अंकित श्री हेमलाल साहू, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला बोदा 47, वि.खं. बोड़ला, जिला कबीरधाम को स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए शा.पू.मा.शाला धमना, वि.खं. पाटन, जिला दुर्ग में पदस्थ किया गया था।

2/ चूंकि उक्त स्थानांतरण से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3 का उल्लंघन हुआ है। अतः राज्य शासन, एतद्वारा, श्री हेमलाल साहू, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला बोदा 47, वि.खं. बोड़ला, जिला कबीरधाम का शा.पू.मा.शाला धमना, वि.खं. पाटन, जिला दुर्ग में किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है।


(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी. वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 12-89/2022/20-दो, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर जिला रायपुर।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला कबीरधाम/दुर्ग(छ.ग.)।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम/दुर्ग (छ.ग.)।

8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कबीरधाम/दुर्ग (छ.ग.)।
9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,.....(छ.ग.)।
10. संबंधित प्रधान पाठक(छ.ग.)।
11. संबंधित श्री हेमलाल साहू, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला बोदा 47, वि.खं. बोड़ला,
जिला कबीरधाम (छ.ग.) ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. गार्ड फाईल।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

=====0=====


:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

क्रमांक एफ 12-89/2022/20-दो :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-88/2022/20-दो, दिनांक 30.09.2022 के सरल क्रमांक 228 में अंकित श्री चंद्रप्रकाश राजपूत, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला पंडरीपानी, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम को स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए शा.पू.मा.शाला भोथीपार, वि.खं. व जिला धमतरी में पदस्थ किया गया था।

2/ चूंकि उक्त स्थानांतरण से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3 का उल्लंघन हुआ है। अतः राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री चंद्रप्रकाश राजपूत, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला पंडरीपानी, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम का शा.पू.मा. शाला भोथीपार, वि.खं. व जिला धमतरी में किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है।


(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी. वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 12-89/2022/20-दो, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर जिला रायपुर।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, दुर्ग/रायपुर (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला कबीरधाम/धमतरी(छ.ग.)।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम/धमतरी (छ.ग.)।

8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कबीरधाम/धमतरी (छ.ग.)।
 9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,.....(छ.ग.)।
 10. संबंधित प्रधान पाठक(छ.ग.)।
 11. संबंधित श्री चंद्रप्रकाश राजपूत, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला पंडरीपानी, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.)।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. गार्ड फाईल।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

=====0=====


:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

क्रमांक एफ 12-89/2022/20-दो :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-88/2022/20-दो, दिनांक 30.09.2022 के सरल क्रमांक 368 में अंकित श्री गोवर्धन सिंह कैवर्त, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला तेलियापानी धोबे, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम को स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए शा.पू.मा.शाला दामापुर, वि.खं. व जिला मुंगेली में पदस्थ किया गया था।

2/ चूंकि उक्त स्थानांतरण से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3 का उल्लंघन हुआ है। अतः राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री गोवर्धन सिंह कैवर्त, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला तेलियापानी धोबे, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम का शा.पू. मा.शाला दामापुर, वि.खं. व जिला मुंगेली में किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी. वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 12-89/2022/20-दो, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर जिला रायपुर।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, दुर्ग/बिलासपुर (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला कबीरधाम/मुंगेली(छ.ग.)।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम/मुंगेली(छ.ग.)।

8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कबीरधाम/मुंगेली (छ.ग.)।
 9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,.....(छ.ग.)।
 10. संबंधित प्रधान पाठक(छ.ग.)।
 11. संबंधित श्री गोवर्धन सिंह कैवर्त, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला तेलियापानी धोबे, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.) ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

=====0=====


:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

क्रमांक एफ 12-89/2022/20-दो :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-88/2022/20-दो, दिनांक 30.09.2022 के सरल क्रमांक 332 में अंकित श्री राजेन्द्र प्रसाद कश्यप, शिक्षक एल.बी., शा.पू.मा.शाला झिरियाडोंगरि, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम को स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए शा.पू.मा.शाला हड़गांव, वि.खं. लोरमी, जिला मुंगेली में पदस्थ किया गया था।

2/ चूंकि उक्त स्थानांतरण से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3 का उल्लंघन हुआ है। अतः राज्य शासन, एतद्वारा, श्री राजेन्द्र प्रसाद कश्यप, शिक्षक एल.बी., शा.पू.मा.शाला झिरियाडोंगरि, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम का शा.पू.मा.शाला हड़गांव, वि.खं. लोरमी, जिला मुंगेली में किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है।

(समन्वय में अनुमोदित)


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी. वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 12-89/2022/20-दो, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर जिला रायपुर।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, दुर्ग/बिलासपुर (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला कबीरधाम/मुंगेली(छ.ग.)।

7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम/मुंगेली(छ.ग.)।
 8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कबीरधाम/मुंगेली (छ.ग.)।
 9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,.....(छ.ग.)।
 10. संबंधित प्रधान पाठक(छ.ग.)।
 11. संबंधित श्री राजेन्द्र प्रसाद कश्यप, शिक्षक एल.बी., शा.पू.मा.शाला झिरियाडोंगरि,
वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.) ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. गार्ड फाईल ।



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

=====0=====


:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

क्रमांक एफ 12-89/2022/20-दो :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-88/2022/20-दो, दिनांक 30.09.2022 के सरल क्रमांक 359 में अंकित श्री हेमलाल देहरी, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला बुधवारा, वि.खं. स.लोहारा जिला कबीरधाम को स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए शा.पू.मा.शाला रीवागहन, वि.खं. डौण्डीलोहारा, जिला बालोद में पदस्थ किया गया था।

2/ चूंकि उक्त स्थानांतरण से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3 का उल्लंघन हुआ है। अतः राज्य शासन, एतद्वारा, श्री हेमलाल देहरी, शिक्षक एल.बी., शा.पू.मा.शाला बुधवारा, वि.खं. स.लोहारा जिला कबीरधाम का शा.पू. मा.शाला रीवागहन, वि.खं. डौण्डीलोहारा, जिला बालोद में किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी. वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 12-89/2022/20-दो, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022


प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर जिला रायपुर।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला कबीरधाम/बालोद(छ.ग.)।

7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम/बालोद(छ.ग.)।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कबीरधाम/बालोद (छ.ग.)।
9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी.....(छ.ग.)।
10. संबंधित प्रधान पाठक(छ.ग.)।
11. संबंधित श्री हेमलाल देहरी, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला बुधवारा, वि.खं. स.लोहारा
जिला कबीरधाम (छ.ग.) ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

12. गार्ड फाईल ।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

=====0=====

:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

क्रमांक एफ 12-89/2022/20-दो :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-88/2022/20-दो, दिनांक 30.09.2022 के सरल क्रमांक 363 में अंकित श्रीमती सरिता साहू, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला रक्से, वि.खं. स.लोहारा, जिला कबीरधाम को स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए शा.पू.मा.शाला रेंगाकठेरा, वि.खं. डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव में पदस्थ किया गया था।

2/ चूंकि उक्त स्थानांतरण से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3 का उल्लंघन हुआ है। अतः राज्य शासन, एतद्वारा, श्रीमती सरिता साहू, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला रक्से, वि.खं. स.लोहारा, जिला कबीरधाम का शा.पू.मा.शाला रेंगाकठेरा, वि.खं. डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव में किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी. वर्मा)

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 12-89/2022/20-दो, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर जिला रायपुर।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला कबीरधाम/राजनांदगांव(छ.ग.)।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम/राजनांदगांव(छ.ग.)।

8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कबीरधाम/राजनांदगांव (छ.ग.)।
 9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,.....(छ.ग.)।
 10. संबंधित प्रधान पाठक(छ.ग.)।
 11. संबंधित श्रीमती सरिता साहू, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला रक्से, वि.खं. स.लोहारा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. गार्ड फाईल।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

=====0=====

:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

क्रमांक एफ 12-89/2022/20-दो :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-88/2022/20-दो, दिनांक 30.09.2022 के सरल क्रमांक 588 में अंकित श्री शिशिर मसीह, शिक्षक एल.बी. (गणित), शा.पू.मा.शाला तितरी, वि.खं. बोड़ला, जिला कबीरधाम को स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए शा.पू.मा.शाला कटंगीकला, वि.खं. खैरागढ़, जिला राजनांदगांव में पदस्थ किया गया था।

2/ चूंकि उक्त स्थानांतरण से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3 का उल्लंघन हुआ है। अतः राज्य शासन, एतद्वारा, श्री शिशिर मसीह, शिक्षक एल.बी. (गणित), शा.पू.मा.शाला तितरी, वि.खं. बोड़ला, जिला कबीरधाम का शा.पू.मा.शाला कटंगीकला, वि.खं. खैरागढ़, जिला राजनांदगांव (नवनिर्मित जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई) में किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी. वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,


स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 12-89/2022/20-दो, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर जिला रायपुर।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

6. कलेक्टर, जिला कबीरधाम / राजनांदगांव / खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई(छ.ग.)।
 7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम / राजनांदगांव / खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई।
 8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कबीरधाम / राजनांदगांव / खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.)।
 9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी.....(छ.ग.)।
 10. संबंधित प्रधान पाठक(छ.ग.)।
 11. संबंधित श्री शिशिर मसीह, शिक्षक एल.बी. (गणित), शा.पू.मा.शाला तितरी, वि.खं. बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.)।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. गार्ड फाईल।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

=====0=====


:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

क्रमांक एफ 12-89/2022/20-दो :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-88/2022/20-दो, दिनांक 30.09.2022 के सरल क्रमांक 607 में अंकित श्री जितेन्द्र कुमार कश्यप, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला कुई, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम को स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए शा.पू.मा.शाला खेकतरा दा., वि.खं. लोरमी, जिला मुंगेली में पदस्थ किया गया था।

2/ चूंकि उक्त स्थानांतरण से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3 का उल्लंघन हुआ है। अतः राज्य शासन, एतद्वारा, श्री जितेन्द्र कुमार कश्यप, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला कुई, वि.खं. पण्डरिया, जिला कबीरधाम का शा.पू.मा.शाला खेकतरा दा., वि.खं. लोरमी, जिला मुंगेली में किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी. वमा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 12-89/2022/20-दो, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर जिला रायपुर।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, दुर्ग/बिलासपुर (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला कबीरधाम/मुंगेली(छ.ग.)।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम/मुंगेली (छ.ग.)।

8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कबीरधाम/मुंगेली (छ.ग.)।
 9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,.....(छ.ग.)।
 10. संबंधित प्रधान पाठक(छ.ग.)।
 11. संबंधित श्री जितेन्द्र कुमार कश्यप, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला कुई, वि.खं. पण्डरिया,
जिला कबीरधाम (छ.ग.) ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. गार्ड फाईल।



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

=====0=====


:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022

क्रमांक एफ 12-89/2022/20-दो :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-88/2022/20-दो, दिनांक 30.09.2022 के सरल क्रमांक 620 में अंकित श्री गुलाब चंद साहू, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला भुरीसीपकरी, वि.खं. बोड़ला, जिला कबीरधाम को स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए शा.पू.मा.शाला महाराजपुर, वि.खं. डौण्डी लोहारा, जिला बालोद में पदस्थ किया गया था।

2/ चूंकि उक्त स्थानांतरण से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3 का उल्लंघन हुआ है। अतः राज्य शासन, एतद्वारा, श्री गुलाब चंद साहू, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला भुरीसीपकरी, वि.खं. बोड़ला, जिला कबीरधाम का शा.पू.मा.शाला महाराजपुर, वि.खं. डौण्डी लोहारा, जिला बालोद में किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी. वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 12-89/2022/20-दो, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/12/2022


प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर जिला रायपुर।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला कबीरधाम/बालोद(छ.ग.)।

7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम/बालोद(छ.ग.)।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कबीरधाम/बालोद(छ.ग.)।
9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,.....(छ.ग.)।
10. संबंधित प्रधान पाठक(छ.ग.)।
11. संबंधित श्री गुलाब चंद साहू, शिक्षक, शा.पू.मा.शाला भुरीसीपकरी, वि.खं. बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12. गार्ड फाईल।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग